न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद (प्रार्थना पत्र) संख्या – 21/2021
प्रविष्टि दिनांक – 17.2.2021

उनवान

1. खेमराज पुत्र चांदमल माता भंवरी देवी जाति कुमावत, निवासी संघपुरा पुरानी टोंक
2. बृजमोहन पुत्र चांदमल माता भंवरी देवी जाति कुमावत, निवासी सिंधी कैम्प जयपुर
3. पवन पुत्र चांदमल माता भंवरी देवी जाति कुमावत, निवासी सिंधी कैम्प जयपुर
4. नरेन्द्र कुमावत पुत्र चांदमल माता भंवरी देवी जाति कुमावत, निवासी संघपुरा पुरानी टोंक
5. कमलेश पुत्र पुत्र चांदमल माता भंवरी देवी जाति कुमावत, निवासी सवाईमाधेपुर राज0
6. गीता पुत्री चांदमल माता भंवरी देवी जाति कुमावत, जाति निवासी सिंधी कैम्प के पीछे जयपुर

–आवेदकगण/ वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

विपक्षी

उपस्थित–श्री सतीश कुमार शर्मा–वकील वादी
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी

निर्णय

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट दुरूस्त किये जाने रिकार्ड

दिनांक : 30/11/21

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार खसरा नंबर 316 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम करेडा बुजुर्ग पटवार हल्का करेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो सम्पूर्ण प्रार्थीगण की भूमि है। नृसिंह पुत्र गुल्ला जो कि प्रार्थीगण का नाना है नृसिंह की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र वारिस प्रार्थीगण की मां भवरी देवी थी जो भी फोत हो चुकी है तथा प्रार्थीगण के नाना नृसिंह की खातेदारी की समस्त भूमि पर प्रार्थी काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण के नाना नृसिंह के खातेदारी की अन्य भूमि मे नृसिंह पुत्र गुल्ला अंकित है जो सही है परन्तु उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के नाना नृसिंह के साथ नृसिंह के पिता गुल्ला नाम जोड कर भूमि नृसिंह पि. गुल्ला पि. मूल्या गलत रूप से अंकित कर दिया जबकि मूल्या जो गुल्ला जी के पिताजी है एवं गुल्ला जी नृसिंह के पिता है। उक्त भूमि जमाबंदी मे नृसिंह गुल्ला पि. मूल्या अंकित हो गया है। अतः नृसिंह गुल्ला पि. मूल्या के स्थान पर नृसिंह पुत्र गुल्ला अंकित किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73, मृत्यु प्रमाण पत्र –नृसिंह लाल कुमावत, भंवरी देवी कुमावत, चांदमल कुमावत, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमे अंकितानुसार उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे नृसिंह गुल्ला पि. मूल्या कोम कुम्हार सा0 देह खातेदारी दर्ज है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम करेडा बुजुर्ग के खाता सं0 325 मे नृसिंह पुत्र गुल्ला हि0 1

आना 1 पैसा 1/2 पाई दर्ज रिकार्ड है एवं उक्त खातेदार मे दर्ज नामान्तरकरण 1482 दिनांक 20.12.2016 से विरासत नृसिंह पुत्र गुल्ला हि0 एक आना एक पैरा 1 पाई के बजाय ब्रजमोहन खेमराज नरेन्द्र पुत्र चांदमल माता भंवरी कमलेश गीता पुत्रिया चांदमल माता भंवरी निवासी मोहल्ला संघपुरा पुरानी टोंक मेहन्दवास टोंक के नाम स्वीकार हुआ। करेडा बुजुर्ग की जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग के खाता सं0 9 खसरा नंबर 316 रकबा 8 बिस्वा खातेदार का नाम नृसिंह गुल्ला पि. मूल्या कोम कुम्हार दर्ज है।

पैरोकार सरकार ने अपनी जवाब की पुष्टि मे जमाबंदी संवत 2070–2073 , भूप्रबन्ध विभाग आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण मे पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार नृसिंह गुल्ला पि. मूल्या कोम कुम्हार अंकित है जिसमे नृसिंह पुत्र गुल्ला अंकित किये जाने का निवेदन किया है जबकि वाद पत्र के शीर्षक अनुसार प्रार्थीगण की जाति कुमावत है लेकिन प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे प्रार्थीगण द्वारा मात्र नृसिंह पुत्र गुल्ला की दुरूस्ती की अधियाचना की है। इसी प्रकार इसी संवत की जमाबंदी खाता सं0 324 व 472 मे भी नृसिंह पुत्र गुल्ला अंकित है जिसकी भी जाति कुम्हार अंकित है। अपितु जमाबंदी भू–प्रबन्ध मे भी नृसिंह पुत्र गुल्ला की जाति कुम्हार अंकित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्पष्ट नही है क्योकि प्रार्थीगण के वाद पत्र के शीर्षक मे प्रार्थीगण की जाति कुमावत अंकित है और विवादित भूमि मे खातेदारो की जाति कुम्हार अंकित है। संभवतः भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी के अनुसार ही हाल जमाबंदी मे इन्द्राज किया गया है। लेकिन प्रार्थनापत्र मे जाति के संशोधन हेतु कोई अधियाचना नही की गई है साथ ही प्रार्थनापत्र मे अंकितानुसार तथाकथित त्रुटि के संबध मे पत्रावली पर श्रृंखलाबद्ध जमाबंदी अथवा अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नही है जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त त्रुटि कहां व किस प्रकार व कब हुई है। चूंकि जाति की त्रुटि तो भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी मे भी है तो वादीगण द्वारा तत्समय ही आपत्ति क्यो नही की गई। वादीगण ने किसी भी साक्ष्य या दस्तावेज से यह स्पष्ट नही किया है कि उक्त त्रुटि किस प्रकार हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज नवीन है, प्रार्थीगण ने पुराने दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये है यदि जमाबंदी मे गलत नाम अंकित किया गया है तो उस त्रुटि के संबध मे पुराने दस्तावेज उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि न्यायालय को त्रुटि मानकर दुरूस्त करने का आधार प्राप्त हो। प्रार्थीगण द्वार आधे अधूरे तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। जो संदेह उत्पन्न करता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि सम्मत नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत खसरा नंबर 316 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम करेडा बुजुर्ग पटवार हल्का करेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/1/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई